आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Scheduled Caste Welfare), Government of Gujarat

BCK-32C : Financial Assistance/Loan Scheme for MBBS/BSAM, MBDS (Dental) and Homeopathic degree holder doctors of Scheduled Caste

डॉ. पी. जी. सोलंकी योजना के तहत गुजरात सरकार बुनियादी मेडिकल डिग्री वाले अनुसूचित जाति के डॉक्टरों को अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए लोन और सहायता देती है।

क्या मिल सकता है

अनुसूचित जाति के डॉक्टर को स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने के लिए 4% ब्याज पर 2.5 लाख रुपये तक का लोन और 25,000 रुपये की सहायता।

किसके लिए है

MBBS, BAMS, BDS या होम्योपैथी डिग्री या डिप्लोमा वाले अनुसूचित जाति के डॉक्टर, जो अपना क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं और नौकरी में नहीं हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक अनुसूचित जाति का हो और MBBS, BAMS, BDS (डेंटल) जैसी बुनियादी मेडिकल डिग्री, या होम्योपैथी डिग्री या डिप्लोमा रखता हो।
- परिवार की सालाना आय 6,00,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी सरकारी कार्यालय या निजी संस्था में नौकरी न करता हो।
- परिवार में केवल एक व्यक्ति को और केवल एक बार यह लाभ मिल सकता है।
- सहायता मिलने के तीन महीने के भीतर क्लिनिक शुरू करना होगा।
- होम्योपैथी डॉक्टरों को केवल शुद्ध होम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी होगी।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/dscw/showpage.aspx?contentid=1556&lang=English
आधिकारिक आवेदन: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?ServiceID=n7LXroqUbBXtUw6EqNoWug==
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-bck-32c-solanki-medical-graduate-loan-assistance-sc/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।